2018/00587

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :- एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

(15)

प्रकरण संख्या 29/2018 (राजसमन्द आर्डर)

1. श्रीमती झमकू बेवा केला जी बलाई, निवासी एमडी, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. प्रकाश पिता भंवरलाल जी बलाई, निवासी एमडी, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

.....अपीलान्टगण

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान
भू राजस्व अधि.1956 विरूद्ध निर्णय
जिला कलक्टर राजसमन्द दिनांक
12-03-2007, प्र. सं. 162/2006

---/---

उपस्थित :- 1- श्री ए.एच. चूड़ीगर अभिभाषक अपीलान्टगण
2- राजकीय अभिभाषक

---:---

निर्णय दिनांक 26-12-2018

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में तहसीलदार राजसमन्द द्वारा धारा 88 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि संवत् 1998 में ग्राम एमडी के खसरा नंबर 1 रकबा 101 बीघा 15 बिस्वा जिसकी किस्म नदी थी। उक्त भूमि को संवत् 2020 में सेटलमेन्ट के समय खसरा नंबर 27 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी II दर्ज कर दी गयी। उक्त भूमि का कानूनन आवंटन/नियमन नही किया जा सकता। अतः भूमि विपक्षीगणों के नाम से निरस्त कर पुनः बिलानाम सरकार किस्म नदी के नाम अंकित की जाये। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार उक्त भूमियों के खातेदारी अधिकारों को निरस्त किये जाने के निर्देश हैं। रेफ्रेन्स की कार्यवाही श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में है। यह आवेदन के बिन्दु संख्या 8 में अंकित कर दिया गया है, जबकि अनुतोष धारा 88 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ही चाहा गया है।

(16)

उक्त प्रकरण दर्ज होने के बाद अधिनस्थ न्यायालय में अप्रार्थीगण दिनांक 11–12–2006 को उपस्थित हुए तथा दिनांक 12–03–2007 को अपीलान्ट/अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि यह भूमि प्रार्थी के खाते की है, जो नदी से 300 फिट दूर स्थित है। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का अवैधानिक कार्य व कब्जा नहीं किया गया है। अतएवं कार्यवाही ड्रोप की जावे।

उक्त जवाब दिनांक 12–03–2007 को प्रस्तुत होने के बाद अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका अनुसार अपीलान्ट/अप्रार्थीगण अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित थे तथा उनका जवाब प्रस्तुत होने के बाद तथा उन्हें सुनने के बाद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12–03–2007 से तहसीलदार का आवेदन स्वीकार कर विवादित भूमि अप्रार्थीगण के नाम से हटाकर बिलानाम नदी अंकित करने का आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/अप्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 10–08–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

→ प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12–03–2007 के अपील की अवधि दिनांक 11–05–2007 होती है, जबकि अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 10–08–2018 को अर्थात करीब 11 वर्ष 3 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जिसके लिए अपीलान्ट ने दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेफ्रेन्स की सुनवाई के रोज अपीलान्ट को यह बताया गया कि उनका रेफ्रेन्स प्रार्थना पत्र रेवेन्यू बोर्ड द्वारा निस्तारित किया जायेगा, लेकिन काफी समय निकल जाने के बाद भी अपीलान्ट को राजस्व मण्डल से कोई सूचना प्राप्त नहीं होने पर अपीलान्ट ने जिला कलक्टर महोदय के यहां पता किया तो ज्ञात हुआ कि अपीलान्ट के विरूद्ध प्रस्तुत रेफ्रेन्स प्रार्थना पत्र उस समय ही जिला कलक्टर महोदय द्वारा अंतिम रूप से निस्तारित कर जमीन बिलानाम सरकार दर्ज कर दी गयी है जबकि कब्जा आज भी अपीलान्टगण का होकर कृषि कर रहे है। जानकारी होते ही अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपील 11 वर्ष 3 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जिसका कोई युक्ति–युक्त आधार नहीं है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी द्वारा धारा 88 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया था, न कि धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रेफ्रेन्स के रूप

(17)

में। प्रकरण में अप्रार्थीगण को नोटिस भी धारा 88 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ही जारी किये गये हैं तथा प्रकरण में अनुतोष भी जिला कलक्टर से ही चाहा गया है। सिर्फ आवेदन में क्रम संख्या 8 पर यह अंकित कर दिया गया है कि रेफ्रेन्स की कार्यवाही श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में है, जबकि यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि रेस्पोन्डेन्ट द्वारा आवेदन व अनुतोष धारा 88 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ही प्रस्तुत किया गया है, जिसके लिए जिला कलक्टर ही अधिकृत है। जिला कलक्टर द्वारा कार्यवाही भी धारा 88 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ही की गयी है, जो विधिक है। जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 12–03–2007 को जो आदेश पारित किया गया है उसे रेफ्रेन्स का आदेश माने जाने का कोई आधार नहीं है तथा उक्त आदेश के बाद भी अपील करीब 11 वर्ष 3 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जिसके लिए जो आधार लिये गये हैं वह न तो उचित हैं, न ही पर्याप्त। अतएवं प्रथम दृष्टया ही अपील बेरून मयाद होने से खारिज योग्य है।

प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, यह सुस्पष्ट है कि यह आवेदन रेस्पोन्डेन्ट द्वारा धारा 88 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया गया है तथा पेश शुदा रेकार्ड से भी यह सुस्पष्ट होता है कि यह भूमि सेटलमेन्ट से पूर्व बिलानाम नदी थी तथा भू–प्रबन्ध के दौरान उक्त भूमि की किस्म बारानी II अंकित कर दी गयी है, जो स्पष्टतया विधि के विरूद्ध है, क्योंकि किसी भी जल संरचना की किस्म विशेष रूप से नदी नालों की किस्म को बिलानाम दर्ज करने का अधिकार भू–प्रबन्ध विभाग को नहीं है। तदनुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 88 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण में जो कार्यवाही की गयी है, उसे हम विधिक पाते हैं। तदनुसार अपील गुणावगुण आधार पर भी पोषणीय नहीं है।

अतएवं अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12–03–2007 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26–12–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर